

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक: प.22(1)न्याय/21

जयपुर, दिनांक: 09.07.2021

:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-


क्र. सं.	नाम सर्व श्री/ श्रीमती/ सुश्री	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1.	श्री दीनदयाल वर्मा	उप विधि परामर्शी, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जयपुर	उप विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग सचिवालय, जयपुर	श्री उगमाराम के स्थान पर
2.	श्री उगमाराम	उप विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी, नगर निगम जयपुर ग्रेटर, जयपुर	श्री दीनदयाल वर्मा के स्थान पर
3.	श्री धर्मेन्द्र दादवानी	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा	उप विधि परामर्शी, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	श्री आनन्द शर्मा के स्थान पर
4.	श्री आनन्द शर्मा	उप विधि परामर्शी, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	उप विधि परामर्शी, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा	श्री धर्मेन्द्र दादवानी के स्थान पर
5.	श्री सुरेश चन्द शर्मा	रजिस्ट्रार (उप विधि परामर्शी) खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर	उप विधि परामर्शी, मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी जयपुर	जयश्री मीणा के स्थान पर
6.	जयश्री मीणा	उप विधि परामर्शी, मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी जयपुर	उप विधि परामर्शी, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
7.	श्रीमती मंजू बाला किराडू	सहायक विधि परामर्शी, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर	रिक्त पद पर
8.	श्री अजय अग्रवाल	वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी, अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	श्री विकास अग्रवाल के स्थान पर
9.	श्री विकास अग्रवाल, कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी, अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर	श्री अजय अग्रवाल के स्थान पर

आज्ञा से

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त हो कर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नव पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवाये।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव